

पत्रांक 1647/4C
सेवा में,

दिनांक 09/06/2016

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।

विषय :- जनपद नैनीताल में कालाढूंगी बाजपुर मोटर मार्ग से बोरपुल हनुमान मन्दिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 08888 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/8636/2014)

सन्दर्भ :- E.D.S. दिनांक 01.06.2016
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित दिनांक 01.06.2016 के E.D.S. के अनुपालन में अवगत कराना है भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य) गिर्यसन रोड, वन अनुसंधान संस्थान परिसर देहरादून के पत्रांक 8बी0/यू0सी0बी0/06/08/2015, दिनांक 10.06.2015 (छाया प्रति संलग्न) के क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून के पत्रांक 3684/FP/UK/ROAD/8636/2014 देहरादून दिनांक 18.06.2015 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा 9 बिन्दुओं में मांगी गयी सूचना/आख्या खण्ड के पत्रांक 2512/4सी, दिनांक 13.08.2015 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। परन्तु आपके द्वारा 1 जून 2016 को मांगी आख्या के अनुपालन में बिन्दु सं0 1, 6, 9 की सूचना/आख्या पुनः प्रश्न उत्तर के प्रारूप में निम्नवत् प्रेषित है:-

क्र0सं 0	प्रश्न	उत्तर
1/1	Part-I of the prescribed application Form-A is casually filled and no information/data is given in para-I (क), I(घ), I(च) & para-2 Further, the undertaking regarding payment of CA coast has also not been given by the user Agency.	बिन्दु 1 के पार्ट-I के पैरा I(क), I(घ), I(च) जो लो0नि0वि0 से सम्बन्धित है की सूचना निर्धारित प्रारूप में अंकित कर दी गयी है एवं प्रपत्र 2 के भाग 1 के क्रमांक 5 पर प्रतिपूरक वृक्षा रोपण के स्थान पर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षा रोपण एवं परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षा रोपण का प्राकलन (प्रस्तावों में पृष्ठ सं0 95 से 101 पर) संलग्न है, चूँकि परियोजना हेतु आवेदित भूमि का क्षेत्रफल एक हेक्टेयर से कम है।
2/6	On the eastern side of the proposed road, sufficient non-forest land seems to be available. State Govt. is advised to explore alignment of road in the non-forest land instead of forest land.	कृषको की भूमि में परियोजना के समरेखण में आधिकांश स्थानों में आवास आ जाने के कारण एवं परियोजना के निर्माण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध न होने के कारण ही परियोजना के समरेखण को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित समरेखण वनभूमि एवं कृषको की भूमि के मध्य सीमा का कार्य करेगा जिससे भविष्य में वन भूमि पर अतिक्रमण की सम्भावनायें इस क्षेत्र में नहीं होंगी।

3/9	Digital map with geo-referenced boundaries in respect of forest land proposed for CA showing boundary and names of forest areas as well as other land uses and important physical features in the vicinity may be submitted on Survey of India Topo sheet in 1:50,000 scale in hard and soft copy duly authenticated by DFO.	परियोजना का क्षेत्रफल एक हे० से कम होने के कारण क्षतिपूर्क वृक्षा रोपण के स्थान पर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षा रोपण और परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षा रोपण के प्राकलन प्रस्तावों में संलग्न है, उक्त परियोजना का क्षेत्रफल एक हे० से कम है। अतः उसे डिजिटल मानचित्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है।
-----	--	---

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

o/c

अधिरासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

पत्रांक 1647/4C

दिनांक 09/06/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्द्रानगर, फारेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।

o/c

अधिरासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)।



पत्रांक 2512 / 441

दिनांक 13/08/2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग।

विषय :- जनपद नैनीताल के बोरपुल-हनुमान मन्दिर-छोटी हल्द्वानी-गणेश जोशी के खेत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.8888 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :- अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनसंरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्रांक FP/UK/ROAD/8636/2014 देहरादून दि0 18.06.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको भी पृष्ठांकित है के क्रम में लो0नि0वि0 से सम्बन्धित बिन्दुओं की आख्या निम्नवत् है :-

1. बिन्दु 1 के पार्ट I के पैरा-I(क), I(घ), I(च) जो लो0नि0वि0 से सम्बन्धित है ^{की} सूचना निर्धारित प्रारूप में अंकित कर दी गयी है, एवं प्रपत्र 2 के भाग 1 के क्रमांक 5 पर प्रतिपूरक वृक्षा रोपण के स्थान पर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षा रोपण एवं परियोजना के आस पास रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षा रोपण का प्राकलन (प्रस्तावों में पृष्ठ सं0 95 से 101 पर) संलग्न है, चूंकि परियोजना हेतु आवेदित भूमि का क्षेत्रफल एक हेक्टेयर से कम है।
2. वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
3. वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
4. वन संरक्षक महोदय द्वारा आपकी आख्या को अग्रसारित किया गया है, जिसमें परियोजना के सम्बन्ध में संस्तुति लिखी जानी है, जो आपकी आख्या उपरान्त ही वन संरक्षक महोदय द्वारा परियोजना हेतु संस्तुति लिखी जायेगी।
5. 12.02.2015 की रिपोर्ट आपसे/वनविभाग से सम्बन्धित है।
6. कृषकों की भूमि में परियोजना के समरेखण में आधिकांश स्थानों में आवास आ जाने के कारण एवं परियोजना के निर्माण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध न होने के कारण ही परियोजना के समरेखण को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित समरेखण वनभूमि एवं कृषकों की भूमि के मध्य सीमा का कार्य करेगा, जिससे भविष्य में वन भूमि पर अतिक्रमण की सम्भावनायें इस क्षेत्र में नहीं होंगी।
7. परियोजना के समरेखण में आरम्भ में 25 मी0 लम्बाई एवं 4.50 मी0 चौड़ाई व शेष भाग में 9 मी0 चौड़ाई में समरेखण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस 25 मी लम्बाई में एक ओर वन भूमि पर पुरातन हनुमान मन्दिर निर्मित है, जिसे हटाया नहीं जा सकता है, दूसरी ओर कृषकों की भूमि है जिसमें उनके आवास निर्मित है। दोनों के बीच 4.50 मी0 चौड़ाई में मार्ग का समरेखण प्रस्तावित है। उक्त 4.50 मी0 चौड़ाई का ग्रामीणों द्वारा वर्तमान में मार्ग के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है। उक्तानुसार समरेखण कृषकों की भूमि एवं वन भूमि के मध्य सीमा का कार्य करेगा जिसको ध्यान में रखते हुए 25 मी0 लम्बाई में स्थल पर उपलब्ध चौड़ाई के अनुसार 4.50 मी0 चौड़ाई ली गयी है।

क्रमशः-2

8. वन विभाग से सम्बन्धित।

9. परियोजना का क्षेत्रफल एक हे० से कम होने के कारण क्षतिपूर्क वृक्षा रोपण के स्थान पर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षा रोपण और परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षा रोपण के प्राकलन प्रस्तावों में संलग्न है, उक्त परियोजना का क्षेत्रफल एक हे० से कम है। अतः उसे डिजिटल मानचित्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र में वन विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आख्या/सूचना के साथ लो०नि०वि० की उक्त आख्या को नोडल अधिकारी को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न:- प्रस्तावों के प्रपत्र 2 के
भाग/पार्ट 1 की संशोधित 5 प्रतियाँ।

13/08/15
(रणजीत सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
हल्द्वानी (नैनीताल)।
दिनांक / / 2015

पत्रांक /

1. प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (प्रथम) निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रणजीत सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
हल्द्वानी (नैनीताल)।

प्रपत्र-2
परिशिष्ट
राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
घारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना विवरण :-

- क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।
ग) परियोजना की लागत।
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

संलग्न प्रपत्र 1 व पृष्ठ सं० 34 में।

संलग्न प्रपत्र 6 में।

₹ 32.44 लाख।

अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण (संलग्न जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रपत्र सं० 10में) उक्त मार्ग निर्माण से 4 गोंयों के निवासी लाभान्वित होंगे यह समरेखन वन भूमि एवं कृषकों की भूमि के मध्य सीमा का कार्य करेगा जिससे वन भूमि पर अतिक्रमण की संभावना भी नहीं होगी।

लागू नहीं।

निर्माण के समय 4000 स्थानीय श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार एवं भविष्य में अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

कुल आपेक्षित भूमि में जनपद नैनीताल में कालादुंगी बाजपुर मोटर मार्ग में बीरपुरल हनुमान मन्दिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण ही किया जायेगा।

शून्य।

शून्य।

शून्य।

शून्य।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण :-

घ) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।

2. कुल आपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।

क) परिवारों की संख्या

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है (हां/नहीं)-नहीं।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)

चुकि परियोजना का क्षेत्र फल 1 हे० से कम है अतः क्षतिपूरक वृक्षा रोपण के स्थान पर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षा रोपण और परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षा रोपण के प्राकलन पृष्ठ सं० 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 पर संलग्न है।

संलग्न अनुसूची के अनुसार।

6. निर्देशों के अनुरार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

दिनांक _____

स्थान _____


(रणजीत सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रस्ताव की कम संख्या _____
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

वृक्षारोपण प्राककलन

परियोजना का नाम - जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालादूँगी-बाजपुर मोटर मार्ग में बीरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हनुमानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण हेतु आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर 100 मीटर लम्बाई में वृक्षारोपण कार्य

वृक्षारोपण स्थल का नाम - निहाल ब्लॉक

क्षेत्रफल - 0.250 है०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या - 100 पौध

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर(रु०)	योग
1	2	3	4	5
प्रथम वर्ष				
1.	सर्वे एवं सीमांकन	0.250 है०	ल०सं०	200.00
2.	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	0.250 है०	6476 /	1619.60
3.	गड्ढा खुदान (0.45×0.45×0.45)	100 गड्ढे	8.05 /	805.00
4.	पौधों की सुरक्षा हेतु आर.सी.सी. पीलर लगाना	68 पीलर	8.68 /	590.24
5.	आर.सी.सी. खम्बे स्थापना व दुलान	0.250 है०	8682 /	2170.50
6.	तारबाड़ की मात्रा एवं कीमत	0.250 है०	4824 /	1206.00
7.	आर.सी.सी. पोलों में तारबाड़ लगाना	68 पीलर	ल०सं०	2500.00
8.	अन्य व्यय	-	ल०सं०	500.00
			योग	9,590.74
द्वितीय वर्ष				
1.	गड्ढा भरान कार्य (0.45×0.45×0.45)	100 गड्ढे	0.90 /	900.00
2.	खाद क्रय कर गड्ढों में भरना	100 गड्ढे	7 /	700.00
3.	पौधों की कीमत	100 पौध	25 /	2500.00
4.	पौध दुलान कार्य बाहर से	100 पौध	ल०सं०	500.00
5.	पौधरोपण व स्थानीय दुलान	100 पौध	2.68 /	268.00
6.	निराई गुड़ाई -	प्रथम गुड़ाई	0.250 है०	1760 /
		द्वितीय गुड़ाई	0.250 है०	1408 /
		तृतीय गुड़ाई	0.250 है०	880 /
7.	वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव मरम्मत	90 मा०दि०	220 /	19800.00
8.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.250 है०	155 /	38.75
9.	अन्य आवस्यिक व्यय	0.250 है०	184 /	46.00
			योग	25,764.75
तृतीय वर्ष				
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	0.250 है०	1475 /	368.75
2.	निराई गुड़ाई	0.250 है०	1408 /	352.00
3.	वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव	90 मा०दि०	220 /	19800.00
4.	तारबाड़ मरम्मत कार्य	0.250 है०	203 /	50.75
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.250 है०	143 /	35.75
6.	अन्य आवस्यिक व्यय	0.250 है०	184 /	46.00
			योग	20,653.25
चतुर्थ वर्ष				
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	0.250 है०	1475 /	368.75
2.	निराई गुड़ाई	0.250 है०	1408 /	352.00
3.	वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव	90 मा०दि०	220 /	19800.00
4.	तारबाड़ मरम्मत कार्य	0.250 है०	203 /	50.75
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.250 है०	143 /	35.75
6.	अन्य आवस्यिक व्यय	0.250 है०	184 /	46.00
			योग	20,653.25
पंचम वर्ष				
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	0.250 है०	1475 /	368.75
2.	निराई गुड़ाई	0.250 है०	1408 /	352.00
3.	वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव	90 मा०दि०	220 /	19800.00
4.	तारबाड़ मरम्मत कार्य	0.250 है०	203 /	50.75
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.250 है०	143 /	35.75
6.	अन्य आवस्यिक व्यय	0.250 है०	184 /	46.00
			योग	20,653.25

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर(रु०)	योग
1	2	3	4	5
षष्ठम् वर्ष				
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	0.250 है०	1475/-	368.75
2.	निराई गुड़ाई	0.250 है०	1408/-	352.00
3.	वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव	90 मा०दि०	220/-	19800.00
4.	तारबाड मरम्मत कार्य	0.250 है०	203/-	50.75
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.250 है०	143/-	35.75
6.	अन्य आवसिक व्यय	0.250 है०	184/-	46.00
			योग	20,653.25
सप्तम् वर्ष				
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	0.250 है०	1475/-	368.75
2.	निराई गुड़ाई	0.250 है०	1408/-	352.00
3.	वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव	90 मा०दि०	220/-	19800.00
4.	तारबाड मरम्मत कार्य	0.250 है०	203/-	50.75
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.250 है०	143/-	35.75
6.	अन्य आवसिक व्यय	0.250 है०	184/-	46.00
			योग	20,653.25
अष्टम् वर्ष				
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	0.250 है०	1475/-	368.75
2.	निराई गुड़ाई	0.250 है०	1408/-	352.00
3.	वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव	90 मा०दि०	220/-	19800.00
4.	तारबाड मरम्मत कार्य	0.250 है०	203/-	50.75
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.250 है०	143/-	35.75
6.	अन्य आवसिक व्यय	0.250 है०	184/-	46.00
			योग	20,653.25
नवम् वर्ष				
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	0.250 है०	1475/-	368.75
2.	निराई गुड़ाई	0.250 है०	1408/-	352.00
3.	वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव	90 मा०दि०	220/-	19800.00
4.	तारबाड मरम्मत कार्य	0.250 है०	203/-	50.75
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.250 है०	143/-	35.75
6.	अन्य आवसिक व्यय	0.250 है०	184/-	46.00
			योग	20,653.25
दशम् वर्ष				
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	0.250 है०	1475/-	368.75
2.	निराई गुड़ाई	0.250 है०	1408/-	352.00
3.	वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव	90 मा०दि०	220/-	19800.00
4.	तारबाड मरम्मत कार्य	0.250 है०	203/-	50.75
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.250 है०	143/-	35.75
6.	अन्य आवसिक व्यय	0.250 है०	184/-	46.00
			योग	20,653.25
	कुल व्यय प्रथम वर्ष से दस वर्षों का योग		योग	2,00,581.49
			या	2,00,500.00


उप प्रभागिय वनाधिकारी
 पटहपुर
 शिवनगर वन प्रभाग, रामनगर


वन क्षेत्राधिकारी
 कुलौडीखीनवसु क्षेत्र
 रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

प्रपत्र-36

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल में कालाढूंगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हितस्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

[Signature]

ह0/-

प्रभागीय वनाधिकारी
राजमनगर वन प्रभाग, राजमनगर

[Signature]

वन क्षेत्राधिकारी
कालाढूंगी वन क्षेत्र
राजमनगर वन प्रभाग, राजमनगर

[Signature]

उप प्रभागीय वनाधिकारी
भरतपुर
राजमनगर वन प्रभाग, राजमनगर

प्रपत्र-37

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल में कालाढूंगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन

वृक्षारोपण योजना संलग्न है


सहायक अभियन्ता
निर्माण विभाग, नै. नि. वि.
इलाहाबादी (बैबीसाह)


अधिसूची व्यवस्थापक
निर्माण विभाग, नै. नि. वि.
इलाहाबादी (बैबीसाह)


प्रमाणित वनाधिकारी
राजमहल वन प्रभाग, रायबरेल


उप प्रमाणित वनाधिकारी
भारतपुर
राजमहल वन प्रभाग, रायबरेल


वन सेवाधिकारी
नै. नि. वि.
इलाहाबादी (बैबीसाह)
रायबरेल, रायबरेल

रिक्त पड़े स्थानों का वृक्षारोपण प्राक्कलन

परियोजना का नाम - जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालादुंगी-बाजपुर मोटर मार्ग में बौरपुल अनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण 0.8588 हे० वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण हेतु वृक्षारोपण के अन्तर्गत 3200 पौधों के वृक्षारोपण रिक्त पड़े स्थानों पर दस वर्षों के रखरखाव हेतु प्राक्कलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम - निहाल ब्लैक

क्षेत्रफल - 2.00 हे०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या - 3200 पौध

क्र.स.	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर(रु०)	योग
1	2	3	4	5
प्रथम चरण				
1.	सर्वे एवं सीमांकन	2.00 हे०	73/-	146.00
2.	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	2.00 हे०	6476/-	12952.00
3.	गड़ढा खुदान (0.45×0.45×0.45)	3200 गड़ढे	8.05/-	25760.00
4.	पौधों की सुरक्षा हेतु आर.सी.सी. पीलर लगाना	270 पीलर	8.68/-	2343.60
5.	आर.सी.सी. खम्बे स्थापना व दुलान	2.00 हे०	8682/-	17364.00
6.	तारबाड़ की मात्रा एवं कीमत	2.00 हे०	4824/-	9648.00
7.	आर.सी.सी. पोलों में तारबाड़ लगाना	270 पीलर	ल०स०	10000.00
8.	अन्य व्यय	-	ल०स०	3500.00
			योग	81,713.60
द्वितीय चरण				
1.	गड़ढा भरान कार्य (0.45×0.45×0.45)	3200 गड़ढे	0.90/-	2880.00
2.	खाद क्रय कर गड़ढों में भरना	3200 गड़ढे	7/-	22400.00
3.	पौधों की कीमत	3200 पौध	25/-	80000.00
4.	पौध दुलान कार्य बाहर से	3200 पौध	ल०स०	6000.00
5.	पौधरोपण व स्थानीय दुलान	3200 पौध	2.68/-	8576.00
6.	निराई गुड़ाई -	प्रथम गुड़ाई	2.00 हे०	1760/-
		द्वितीय गुड़ाई	2.00 हे०	1408/-
		तृतीय गुड़ाई	2.00 हे०	880/-
7.	वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव मरम्मत	180 मा०दि०	220/-	39600.00
8.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	2.00 हे०	155/-	310.00
9.	अन्य आवसिक व्यय	2.00 हे०	184/-	368.00
			योग	1,68,230.00
तृतीय चरण				
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	2.00 हे०	1475/-	2950.00
2.	निराई गुड़ाई	2.00 हे०	1408/-	2816.00
3.	वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव	180 मा०दि०	220/-	39600.00
4.	तारबाड़ मरम्मत कार्य	2.00 हे०	203/-	406.00
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	2.00 हे०	143/-	286.00
6.	अन्य आवसिक व्यय	2.00 हे०	184/-	368.00
			योग	46,426.00
चतुर्थ चरण				
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	2.00 हे०	1475/-	2950.00
2.	निराई गुड़ाई	2.00 हे०	1408/-	2816.00
3.	वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव	180 मा०दि०	220/-	39600.00
4.	तारबाड़ मरम्मत कार्य	2.00 हे०	203/-	406.00
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	2.00 हे०	143/-	286.00
6.	अन्य आवसिक व्यय	2.00 हे०	184/-	368.00
			योग	46,426.00
पंचम चरण				
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	2.00 हे०	1475/-	2950.00
2.	निराई गुड़ाई	2.00 हे०	1408/-	2816.00
3.	वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव	180 मा०दि०	220/-	39600.00
4.	तारबाड़ मरम्मत कार्य	2.00 हे०	203/-	406.00
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	2.00 हे०	143/-	286.00
6.	अन्य आवसिक व्यय	2.00 हे०	184/-	368.00
			योग	46,426.00

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर(रु०)	योग
1	2	3	4	5
	षष्ठम् चरण			
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	2.00 है०	1475 /	2950.00
2.	निराई गुड़ाई	2.00 है०	1408 /	2816.00
3.	वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव	180 मा०दि०	220 /	39600.00
4.	तारबाड़ मरम्मत कार्य	2.00 है०	203 /	406.00
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाइन कटान एवं फुकान कार्य	2.00 है०	143 /	286.00
6.	अन्य आवसिमक व्यय	2.00 है०	184 /	368.00
			योग	46,426.00
	सप्तम् चरण			
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	2.00 है०	1475 /	2950.00
2.	निराई गुड़ाई	2.00 है०	1408 /	2816.00
3.	वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव	180 मा०दि०	220 /	39600.00
4.	तारबाड़ मरम्मत कार्य	2.00 है०	203 /	406.00
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाइन कटान एवं फुकान कार्य	2.00 है०	143 /	286.00
6.	अन्य आवसिमक व्यय	2.00 है०	184 /	368.00
			योग	46,426.00
	अष्टम् चरण			
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	2.00 है०	1475 /	2950.00
2.	निराई गुड़ाई	2.00 है०	1408 /	2816.00
3.	वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव	180 मा०दि०	220 /	39600.00
4.	तारबाड़ मरम्मत कार्य	2.00 है०	203 /	406.00
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाइन कटान एवं फुकान कार्य	2.00 है०	143 /	286.00
6.	अन्य आवसिमक व्यय	2.00 है०	184 /	368.00
			योग	46,426.00
	नवम् चरण			
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	2.00 है०	1475 /	2950.00
2.	निराई गुड़ाई	2.00 है०	1408 /	2816.00
3.	वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव	180 मा०दि०	220 /	39600.00
4.	तारबाड़ मरम्मत कार्य	2.00 है०	203 /	406.00
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाइन कटान एवं फुकान कार्य	2.00 है०	143 /	286.00
6.	अन्य आवसिमक व्यय	2.00 है०	184 /	368.00
			योग	46,426.00
	दशम् चरण			
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	2.00 है०	1475 /	2950.00
2.	निराई गुड़ाई	2.00 है०	1408 /	2816.00
3.	वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव	180 मा०दि०	220 /	39600.00
4.	तारबाड़ मरम्मत कार्य	2.00 है०	203 /	406.00
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाइन कटान एवं फुकान कार्य	2.00 है०	143 /	286.00
6.	अन्य आवसिमक व्यय	2.00 है०	184 /	368.00
			योग	46,426.00
	कुल व्यय प्रथम वर्ष से दस वर्षों का योग			6,21,351.60

उप प्रशासी वनाधिकारी
राजपुर
विश्वनगर राजपुर रामनगर

प्रशासी वनाधिकारी
विश्वनगर वन विभाग, रामनगर

वन क्षेत्राधिकारी
कालाहूँगी वन क्षेत्र
रामनगर वन विभाग, रामनगर

परियोजना का नाम:-जनपद नैनीताल में कालाढूंगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मन्दिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

रिक्त पड़े मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु रिक्त पड़े मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने को लोक निर्माण विभाग सहमत है।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, सो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


अधिसूचक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, सो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)